**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, जनपद मेरठ (उ.प्र.)**
उपस्थित : श्री प्रशांत मौर्य, उ.प्र. न्यायिक सेवा (I.D. No. UP-3377)

Cnr No.: UPME120002572026

विविध प्रार्थना-पत्र सं० 14 / 2026
अन्तर्गत धारा : 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना : मवाना, जनपद मेरठ

श्रीमती नितिशा बंसल बनाम मंजू बंसल आदि

आदेश दिनांक : 18.03.2026

---

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। आवेदिका/प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है, जिसमें थाना मवाना को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना-पत्र के कथनों के अनुसार संक्षेप में आरोप यह है कि आवेदिका का विवाह दिनांक 23.01.2011 को नितिन बंसल के साथ सम्पन्न हुआ था, जिनसे दो नाबालिग बच्चे उत्पन्न हुए। पति की मृत्यु दिनांक 19.11.2018 को हो जाने के उपरान्त विपक्षीगण सं० 1 व 2 द्वारा आवेदिका को ससुराल से निकाल दिया गया। यह भी कथित है कि मृतक पति द्वारा दिनांक 31.08.2016 को एक कार पार्किंग स्थल क्रय किया गया था, किन्तु विपक्षीगण सं० 1 व 2 द्वारा उक्त सम्पत्ति को दिनांक 07.08.2025 को विपक्षी सं० 3 के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। आवेदिका का आरोप है कि उक्त विक्रय उसके एवं उसके नाबालिग बच्चों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए धोखाधड़ी एवं षड्यंत्रपूर्वक किया गया है तथा विरोध करने पर उसे फोन पर धमकी भी दी गयी। थाना स्तर पर प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया, अतः न्यायालय से हस्तक्षेप की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में थाना मवाना से आख्या तलब की गयी थी। थाना मवाना से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों से यह परिलक्षित होता है कि विवाद का मूल स्वरूप मृतक पति की सम्पत्ति में अधिकार, उत्तराधिकार तथा विक्रयपत्र की वैधता से संबंधित है। दोनों पक्षों के मध्य स्वामित्व एवं अधिकारों के निर्धारण हेतु साक्ष्य का परीक्षण अपेक्षित है। साथ ही, प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों का परीक्षण मुख्यतः आवेदिका के कथनों, अभिलेखों तथा संभावित साक्ष्यों के आधार पर किया जाना है, जो इस स्तर पर न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में संज्ञान की कार्यवाही के माध्यम से अधिक उपयुक्त रूप से परीक्षणीय प्रतीत होता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त (सुखबासी बनाम उ०प्र० राज्य, 2007 ACC (59) 739) के आलोक में, जहाँ प्रकरण में तत्काल पुलिस विवेचना आवश्यक प्रतीत नहीं होती तथा तथ्यों का परीक्षण परिवाद कार्यवाही के माध्यम से किया जा सकता है, वहाँ ऐसे प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में ग्रहण किया जाना न्यायहित में उचित है।

**आदेश**

1. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है।
2. वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इसे परिवाद वाद के रूप में पंजीकृत कर आवश्यक क्रमांक आवंटित करें।
3. पत्रावली दिनांक 27/03/2026 को परिवादी/शिकायतकर्ता के बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु प्रस्तुत की जाए।
4. परिवादी/शिकायतकर्ता को नियत तिथि से अवगत कराया जाए।

दिनांक : 18.03.2026

(प्रशांत मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
जनपद मेरठ (उ.प्र.)
I.D. No. UP-3377